संख्या–17 /VI-I/2006–5(11) 2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तरांचल, देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग देहरादून दिनांक 24 जनवरी, 2006

विषय :– जनपद पौड़ी के विकासखण्ड पांबौ में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक युवा कल्याण निदेशालय के पत्र संख्या–812/सात–741/2004–05 दिनांक–18, अक्टूबर 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी विकासखण्ड पांबौ में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु वित्त विभाग टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण धनराशि रूपये 35.70 लाख (रूपये पैंतीस लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में रूपये 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तो के साथ व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

i) आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।

ii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधानित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधानित स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

iv) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

v) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

vi) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

vii) आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

viii) निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आंबटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का

अधिकार नहीं दता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किए गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3. किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, भंडार कय नियम तथा मितव्ययता सम्बंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का कय डी0जी0एस0एण्डडी0 की दरों पर किया जायेगा और यह दरें न होने की स्थिति में टेण्डर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

4. व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है।

5. उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण देने के बाद ही आगामी अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

6. उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं–00–001–निदेशन एवं प्रशासन–आयोजनागत–07–ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम–00–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–151/वित्त XXVII (3)/2006 दिनांक–19 जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– /VI-I/2006, समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, उत्तरांचल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव